राजस्व वाद 126/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00199
राजेन्द्र जाजड़ा बनाम रामदेव वगैरह

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर इसलिये मौजा बोड़िद खुर्द तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 294, 248, 296 में वादीगण संख्या 1 से 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता ह तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3649 दिनांक 09.09.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो कि निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी राजेन्द्र जाजड़ा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खुर्द का खेत खसरा नंबर 248 रकबा 0.1619 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 294 रकबा 0.9955 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 296 रकबा 3.9254 हैक्टेयर में से 1.3840 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 धनश्याम जाजड़ा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खुर्द का खेत खसरा नंबर 296 रकबा 3.9254 हैक्टेयर में से 2.5414 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 3383/1009 रकबा 0.6991 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3382/293 रकबा 0.6556 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 28/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर ★ (मु.डे.)

28/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner